न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–312 / 2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रवि कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
14/08/2020		

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1128 / म0नि0को0, दिनांक 16.11.2019 से प्राप्त बहादुरपुर थाना कांड सं0–485 / 19 दिनांक 02.10.2019 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मारूति कम्पनी का डिजायर गाडी रजि0 नं0–BR11AG-8845 को राज्यसात करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 15.02.2020 से बहादुरपुर थाना कांड सं0–485 / 19 दिनांक 02.10.2019 में जब्त वाहन मारूति कम्पनी का डिजायर गाडी रजि0 नं0–BR11AG-8845 को वाहन स्वामी द्वारा बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति दाखिल करने के उपरान्त वाहन को विमुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। तदालोक में विपक्षी के द्वारा बंधपत्र, शपथ पत्र तथा प्रतिभूति के रूप में प्रमोद कुमार राय, पिता–स्व0 गनौर राय, ग्राम–धेपुरा, थाना–बिस्फी (औंसी ओ0पी0), जिला–मधुबनी वर्त्तमान पता– मु0–बेलादुल्लाह, थाना– ल0ना0मि0वि0, दरभंगा, जिला– दरभंगा का केवाला संख्या– 14640 दिनांक 03.12.2007 मौजा– बेलादुल्लाह, खाता नं0– 7 खेसरा नं0– 137 खाता नं0–49 (नया), खेसरा नं0–145 (नया) रकबा 15 धुर कीमत वर्त्तमान मूल्य के अनुसार मो0– 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये मात्र तथा बन्ध पत्र के अनुसार मो0– 5,14,952.00 (पाँच लाख चौदह हजार नौ सौ बावन) रूपये मात्र का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य मो0– 5,14,952.00 (पाँच लाख चौदह हजार नौ सौ बावन) रूपये मात्र है।

दाखिल सभी कागजात विद्वान अधिवक्ता एवं विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

अतएव दाखिल कागजात के आलोक में बहादुरपुर थाना कांड सं0–485 / 19 दिनांक 02.10.2019 में जब्त मारूति कम्पनी का डिजायर गाडी रजि0 नं0–BR11AG-8845 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, बहादुरपुर थाना को दाखिल कागजात की छायाप्रति के साथ अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा